राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान
(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)
राँची–834009 (झारखण्ड)
दुरभाषः 0651–2541533, फैक्सः 0651–2540629,
E-mail: rimsranchi@rediffmail.com

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
(An Autonomous Institute under Govt. of Jharkhand)
Ranchi-834009 (Jharkhand)
Phone: 0651-2541533, Fax: 0651-2540629,
Email : rimsranchi@rediffmail.com

Letter No. RIMS/Admin/ ...5684.... Dated....13.11.19.

इच्छा की अभिव्यक्ति
(EXPRESSION OF INTEREST)

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के छः मोक्ष वाहनों (शव वाहन) के सफल संचालन हेतु निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं (NGO's) से मुहरबन्द निविदा दिनांक 30.11.2019 के अपराह्न 04:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय में आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता वाहन परिचालन से संबंधित विस्तृत विवरणी रिम्स के वेबसाईट www.rimsranchi.org पर देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

13/11/19
निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान
(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)
राँची–834009 (झारखण्ड)
दुरभाषः 0651–2541533, फैक्सः 0651–2540629,
E-mail: rimsranchi@rediffmail.com

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
(An Autonomous Institute under Govt. of Jharkhand)
Ranchi-834009 (Jharkhand)
Phone: 0651-2541533, Fax: 0651-2540629,
Email : rimsranchi@rediffmail.com

Letter No. RIMS/Admin/ ...5684..... Dated...13.11.19.

इच्छा की अभिव्यक्ति
(EXPRESSION OF INTEREST)

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के छः मोक्ष वाहनों (शव वाहन) के सफल संचालन हेतु निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं (NGO's) से मुहरबन्द निविदा दिनांक 30.11.2019 के अपराह्न 04:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय में आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता वाहन परिचालन से संबंधित विस्तृत विवरणी रिम्स के वेबसाईट www.rimsranchi.org पर देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त निविदा के क्रम में मोक्ष यात्रा वाहनों के परिचालन हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड सरकार का संकल्प पत्रांक 1499 दिनांक 16.10.2017 के प्रसंग में निर्धारित निम्नांकित Standard Operating Procedure (SOP) के अनुरूप ही परिचालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त (SOP) में अंकित सिविल सर्जन शब्द को रिम्स, राँची पढ़ा एवं समझा जाय। इच्छुक निविदादाता निविदा समर्पण के पूर्व रिम्स परिसर में उपलब्ध सभी छः वाहनों का निरीक्षण कर चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स, राँची से विमर्श कर संतुष्ट हो सकते हैं। साथ ही निविदादाता शव वाहन अथवा एम्बुलेंस संचालन के अनुभव को भी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

विस्तृत विवरणी Standard Operating Procedure SOP संलग्न।

13/11/19
निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।
11/11/19 11/11/19

(16)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची)

Standard Operating Procedure(SOP)

मोक्ष यात्रा (शव) वाहन

प्रसंग:– संकल्प पत्रांक 1499 दिनांक 16.10.2017

1. प्रस्तावना

   यह सेवा झारखण्ड राज्य के निवासी हेतु सरकारी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/रिम्स में मृत रोगियों के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

2. संस्थान जो मोक्ष यात्रा वाहन से संबद्ध है

   (I) सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं रिम्स

   (II) जिला अस्पताल

   (III) भविष्य में जिन सरकारी अस्पताल को शव वाहन उपलब्ध कराया जाऐगा।

नोट:– विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन/संबंधित अस्पताल के प्राधिकृत वरीय चिकित्सक की अनुमति के पश्चात सी०एच०सी० में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. मोक्ष यात्रा वाहन का उपयोग कौन कर सकता है।

   (I) सरकारी अस्पताल में हुई मृत्यु के पश्चात शव को मृत रोगी के घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/ Cremation Ground) तक ले जाने हेतु इसका उपयोग किया जा सकेगा।

4. मोक्ष यात्रा वाहन का उपयोग कौन नही कर सकता है।

   (I) घर में हुई मृत्यु

   (II) निजी अस्पताल में हुई मृत्यु

5. मोक्ष यात्रा वाहन का संचालन–

   5.1 – मोक्ष यात्रा वाहन का संचालन सरकारी अस्पताल द्वारा रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से अथवा जहाँ रेडक्रॉस की सक्रिय सेवा उपलब्ध नहीं हो तो जिले के उपायुक्त तथा अस्पताल के अधीक्षक/सिविल सर्जन के द्वारा चयनित NGO के साथ MoU के बाद किया जा सकेगा।

   5.2 – संचालन के दर –

   5.2.1– वैध बी.पी.एल.कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रु0 72000/– (बहत्तर हजार रूपये) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण पत्र वाले परिवारों के मृतकों के लिए यह सेवा निःशुल्क होगी।

   5.2.2– शेष परिवारों के मृतकों के लिए यह सेवा निम्न दरों पर उपलब्ध होगी :–

   a. प्रथम 10 कि०मी० के लिए – 500 रु०

   b. 10 कि०मी० से अधिक दूरी के लिए – 9 रू०/कि०मी०

   c. दूरी की गणना मृतक के घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/ Cremation Ground) तक जाने एवं वापस अस्पताल आने (Both sides) के लिए किया जायेगा।

   उदाहरण :–

   1. यदि घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/ Cremation Ground) तक जाने की दूरी 4 कि०मी० है। तो कुल दूरी 4 x 2 = 8 कि०मी० होगी। अतः उन्हें प्रथम 10 कि0 मी0 के लिए मात्र 500 रू0 ही भुगतान करना होगा।

15

2. यदि घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/ Cremation Ground) तक जाने की दूरी 50 कि०मी० है तो कुल दूरी 50 X 2 = 100 कि०मी० होगी।

अतः प्रथम 10 किलोमीटर हेतु 500 रूपये
शेष 90 किलोमीटर हेतु = 90 X 9 = 810 रूपये
कुल 500 + 810 = 1310 रूपये भुगतान करना होगा

d. झारखण्ड राज्य के वैध बी.पी.एल.कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रु0 72000/– (बहत्तर हजार रूपये) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण पत्र वाले परिवारों को छोड़ कर शेष परिवारों के मृतकों का शव घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/ Cremation Ground) तक पहुँचाने के लिए अनुमानित राशि पूर्व में ही जमा करना होगा तथा वास्तविक राशि की गणना कर अतिरिक्त राशि का भुगतान चालक को गंतव्य स्थान पर किया जायेगा।

5.2.3- झारखण्ड राज्य के वैध बी.पी.एल.कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रु0 72000/– (बहत्तर हजार रूपये) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण पत्र वाले परिवारों के मृतकों का शव गंतव्य तक पहुँचाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग से प्राप्त आवंटन द्वारा 'कण्डिका–5.2 के दर पर सिविल सर्जन द्वारा किया जायेगा।

5.2.4– झारखण्ड राज्य के वैध बी.पी.एल.कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रु0 72000/– (बहत्तर हजार रूपये) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण पत्र वाले परिवारों के मरीजों के लिए सिविल सर्जन से प्राप्त राशि एवं अन्य मरीजों से होने वाले आय को रेडक्रॉस/ NGO के खाते में जमा किया जायेगा। मोक्ष–यात्रा (शव) वाहन के सभी लेखा का संधारण अलग से किया जायेगा।

6. **कार्यावधि–** यह सेवा 24 X 7 संबद्व संस्थान में उपलब्ध रहेगी। वाहन अस्पताल परिसर में उपलब्ध रहेगा।

7. मोक्ष यात्रा वाहन का रख रखाव–

7.1– चालक, ईंधन, रिपेयर, मेन्टेनेन्स आदि की व्यवस्था रेडक्रॉस/NGO के द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

7.2– परिचालन व्यय–वाहन परिचालन में होने वाला व्यय, वाहन संचालन से प्रापत राशि से किया जायेगा। यदि व्यय की राशि आय से अधिक होगी तो Hospital Management Society से इस राशि की क्षतिपूर्ति (आय की राशि घटा कर) रेडक्रॉस/NGO को सिविल सर्जन के समक्ष व्यय तथा परिचालन विवरण उपस्थापित करने पर भुगतान किया जायेगा। सिविल सर्जन HMS से भुगतान हेतु नियमसंगत अनुमोदन प्राप्त करके ही क्षतिपूर्ति भुगतान करेंगे।

8. सक्षम प्राधिकार–

सेवा प्राप्त करने के लिए मृतक के परिजनों को अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्राधिकृत वरीय चिकित्सक के समक्ष आवेदन करना होगा। अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्राधिकृत वरीय चिकित्सक सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे। अनुमति उपरांत रेडक्रॉस/NGO वाहन उपलब्ध करायेंगे।

14

9. कार्य क्षेत्र–

9.1– यह सेवा पुरे झारखण्ड राज्य के लिए उपलब्ध रहेगी।

9.2– विशेष परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक/सिविल सर्जन राज्य से बाहर जाने के अनुमति दे सकते है बशर्ते कि मोक्ष यात्रा वाहन के एक तरफ का परिचालन 500 किलोमीटर से ज्यादा न हो। प्रयास रहे कि वाहन 24 घंटे में वापस आ जाये।

9.3– राज्य से बाहर जाने की स्थिति में वैध बी.पी.एल.कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पीला कार्ड अथवा गुलाबी कार्ड/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रु0 72000/– (बहत्तर हजार रूपये) तक वार्षिक आय का निर्गत प्रमाण पत्र वाले परिवारों को भी यह सेवा सशुल्क (कंडिका–5.2.2) उपलब्ध कराई जाएगी।

10. अनिवार्यता–

Dead Body Carrying Certificate अनिवार्य होगा तथा इसके बिना मरीजों का शव घर अथवा निकटतम Disposal Site (Burial/Cremation Ground) तक पहुँचाने की यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी। Medico Legal Cases (M.L. Cases) के मामले में Post- Mortem के बाद ही सेवा उपलब्ध होगी।

11. सूचना प्रबंधन–

11.1– लॉग बुक का संधारण चालक द्वारा एवं रजिस्टर (प्रारूप संलग्न) का संधारण अधीक्षक/उपाधीक्षक कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

11.2– लॉग बुक में अस्पताल से यात्रा प्रारंभ करने का समय, गंतव्य पहुँचने का समय, तय की गई दूरी, वापस अस्पताल पहुँचने का समय एवं वापसी की दूरी चालक एवं मृतक के परिजन द्वारा हस्ताक्षर के साथ अंकित की जायेगी।

11.3– सुझाव पेटी उपाधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

12. समीक्षा तंत्र –सरकार समय–समय पर मोक्ष यात्रा (शव) वाहन के कार्यकलाप की समीक्षा करेगी तथा इस SOP में बदलाव का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

(डा0 विजय शंकर दास)
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

रजिस्टर का प्रारूप (Format):–

क्र. सं.	मृतक का नाम	उम्र / लिंग	पता	SC/ ST/OBC/Others	Hospital Reg. No.	MLC/ Non-MLC	BPL/ Below Rs. 72000/- P.A./ Non-BPL	Date & Time of Death	शव को पहुँचाने का स्थान	अनुमानित दूरी (कि०मी० में)	वास्तविक दूरी (कि०मी० में)	चालक का हस्ताक्षर	मृतक के परिजन का हस्ताक्षर

9-8-19

(डा0 विजय शंकर दास)
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

13